न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री राजू धोगी पुत्र सीताराम धोबी निवासी महिला आश्रम के पास, माली खेडा चौराहा भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 186/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	–: निर्णय :–	
13.01.2026	1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। 2. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 10.10.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र कमांक 125 दिनांक 13.01.2026 से अवगत कराया गया कि इस कार्यालय के पत्र कमांक 120 दिनांक 12.01.2026 से अपीलार्थी को सूचित/जवाब जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गई। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 13–01–2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(जसमीत सिहं संधू)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा जिला कलक्टर भीलवाड़ा	